कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या–एम0ई0–3/2026/415 लखनऊ:दिनांक 23/02/ 2026

यू0पी0 नीट पी0जी0 2025 के अन्तर्गत स्ट्रे–वैकेन्सी राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना/दिशा–निर्देश।

1. नीट पी0जी0 2025 हेतु नीति निर्धारण विषयक निर्गत शासनादेश दिनांक 06 जून 2025 एवं ब्रोशर में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड कांउसिलिंग प्रकिया सम्पन्न करायी जायेगी। अतएव कांउसिलिंग प्रकिया में प्रतिभाग करने से पूर्व शासनादेश एवं ब्रोशर का स्वयं अवलोकन करें।
2. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्हें यू०पी० नीट पी०जी० 2025 की कांउसिलिंग के किसी भी चक्र से कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।
3. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट पी०जी०–2025 की ऑल इण्डिया काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नहीं होगें।
4. **स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड हेतु नीट पी०जी०–2025 की अन्य राज्य की काउंसिलिंग के किसी भी चक्र के माध्मय से प्रवेशित अभ्यर्थी अर्ह नही होगें।**
5. **आल इण्डिया की स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को यू०पी० नीट पी०जी० 2025 की स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की आवंटन प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।**
6. कांउसिलिंग के प्रथम/द्वितीय/तृतीय चक्र में पंजीकृत एवं अनावंटित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में धरोहर धनराशि जमा की गयी है, उन्हें स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की कांउसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पुनः धरोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
7. अभ्यर्थी द्वारा राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज की सीटों पर प्रवेश हेतु वरीयता के आधार पर आनलाइन Choice Fill की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा उन्ही कालेजों की च्वाईस भरी जाये, जिनमें प्रवेश हेतु वह इच्छुक है। आनलाइन च्वाईस फिलिंग की कोई सीमा निर्धारित नही है।
8. **आनलाइन च्वाईस फिलिंग के पश्चात् च्वाईस लॉक करना अनिवार्य है। च्वाइस लॉक न करने की स्थिति में अभ्यर्थी को आवंटन की प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।**
9. **अभ्यर्थी द्वारा च्वाइस लॉक करने के उपरान्त उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव अथवा परिवर्तन नही हो सकेगा और न ही इस संबंध में महानिदेशालय में प्राप्त किसी भी प्रार्थना–पत्र पर विचार किया जायेगा।**
10. **स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड की काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों को Seat Against Cancellation (SAC) का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। SAC सीटें एक प्रकार की Virtual Vacancies है, जिसके अन्तर्गत च्वाईस फिलिंग के समय अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी के रिक्त सीटों के अतिरिक्त अन्य आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी की सीटों का विकल्प भी प्रदर्शित होगा। आवंटन प्रकिया के समय यदि आरक्षित श्रेणी की कोई भी सीट रिक्त रह जाती है, तो ऐसी सीटों को शासनादेश संख्याः I/986212/2025, दिनांक 06.06.2025 में निहित तालिकानुसार आमेलित (Merge) करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी:–**
    - **<u>प्रथम चरण</u>** :– Horizontal आरक्षण में अर्ह अभ्यर्थी न होने की दशा में समस्त श्रेणी की सीटों को उनकी मूल Vertical श्रेणी में आमेलित **(Merge)** करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
    - **<u>द्वितीय चरण</u>:–एस0टी0 श्रेणी** के अभ्यर्थियों के आवंटन प्रकिया के पश्चात् रिक्त **एस0टी0 श्रेणी** की सीट को **एस0सी0 श्रेणी** में आमेलित करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
    - **<u>तृतीय चरण</u> :–एस0सी0, ओ0बी0सी0 एवं ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी** के अभ्यर्थियों के आवंटन प्रकिया के पश्चात् रिक्त **एस0सी0, ओ0बी0सी0 एवं ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी** की सीटों को **अनारक्षित श्रेणी** में आमेलित करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
    - **<u>चतुर्थ चरण</u> :–अल्पसंख्यक श्रेणी** के अभ्यर्थियों के आवंटन प्रकिया के पश्चात् रिक्त **अल्पसंख्यक श्रेणी** की सीट को **अनारक्षित श्रेणी** में आमेलित करते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
    - **<u>अन्तिम चरण</u>:–** समस्त आमेलित **(Merge)** सीटों को अनारक्षित श्रेणी में मानते हुए आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी। इस चरण में किसी भी आरक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी की सीट आमेलन प्रकिया के फलस्वरूप अपग्रेड होती है, तो ऐसी दशा में रिक्त सीट को अनारक्षित मानते हुये **"मेरिट–कम–विकल्प"** के आधार पर आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।
    - सभी आरक्षित श्रेणियों की सीटों का आवंटन उक्त कम में किया जायेगा। यदि एस0टी0, एस0सी0, ओ0बी0सी0 एवं ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी की कोई एक भी सीट आमेलित **(Merge)** की जाती है, तो ऐसी दशा में प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ चरण की आवंटन प्रकिया में प्रथम विकल्प प्राप्त अभ्यर्थी को छोड़कर

शेष सभी अभ्यर्थियों को upgradation का अवसर देते हुये अन्तिम चरण की आवंटन प्रकिया सम्पन्न की जायेगी।

Conversion Algorithm

S.No.	Conversion Category	Category converted to	Eligible Candidate
1	ST(PwD)	ST	ST, ST(PwD)
2	SC(PwD)	SC	SC, SC(PwD)
3	OBC (PwD)	OBC	OBC, OBC(PwD)
4	EWS(PwD)	EWS	EWS, EWS(PwD)
5	UR(PwD)	UR	UR, UR(PwD)
6	ST	SC	ALL SC
7	SC	UR	ALL Candidate
8	OBC	UR	ALL Candidate
9	EWS	UR	ALL Candidate
10	Minority(UR)	Non-Minority(UR)	ALL Candidate

11. राजकीय क्षेत्र की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रकिया सम्बन्धित मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय/चिकित्सालय स्तर पर सम्पन्न की जायेगी।
12. निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो की सीटों पर आवंटित अभ्यर्थियो की प्रवेश प्रक्रिया शासन द्वारा नामित नोडल सेन्टरों पर सम्पन्न करायी जायेगी।
13. आवंटित अभ्यर्थी को संबंधित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रवेश प्रकिया पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा।
14. **यदि कोई अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन के पश्चात् प्रवेश नहीं लेता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा यू०पी० नीट पी०जी० कांउसिलिंग 2026–27 के लिये प्रतिबंधित (Debar) कर दिया जायेगा।**
15. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र आवंटित मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी के प्रवेश पर विचार नही किया जायेगा।
16. निजी क्षेत्र के कालेजो मे आवंटन प्राप्त अभ्यर्थी से शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) का सी०टी०एस बैंक ड्राफ्ट जो महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० (Director General, Medical Education & Training, U.P. Payable at Lucknow) के पक्ष मे निर्गत किया गया हो, लिया जायेगा। यदि निजी क्षेत्र के कालेज प्रबन्धन द्वारा शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क से कम शिक्षण शुल्क लिया जाता है, तो उसके लिये स्वतंत्र है। शासन द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं के फीस स्ट्रक्चर वेबसाइट dgme.up.gov.in एवं upneet.gov.in पर उपलब्ध है।
17. आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों को मेडिकल कालेज/नोडल सेन्टर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराया जाना अनिवार्य है।
18. स्ट्रे वैकेन्सी राउण्ड से आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा नोडल सेन्टर पर प्रवेश लेने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में रिपोर्ट किया जाना अनिवार्य होगा।
19. नीट पी0जी0–2025 कॉउंसिलिंग संबंधी समस्त अद्यतन सूचनाओं के संबंध में https://upneet.gov.in एवं www.dgme.up.gov.in पर निरन्तर अवलोकन करते रहें।

कृते महानिदेशक।